



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012021-224694
CG-DL-E-25012021-224694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]
No. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/माघ 5, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 351(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर, साम्बा के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित (व्यक्ति) को एतद्वारा नामित करती है:

प्रो. एस. रामाकृष्णा, महासचिव (सदस्यता मामले), भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/178/2019-पीएमएसएसवाई-IV]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 351(E).—In exercise of the power conferred by Section 4 (e) of All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following as member of the Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Vijaypur, Samba:**

Prof. S. Ramakrishna, General Secretary (Membership Affairs), Indian Science Congress Association

The term of Office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/178/2019-PMSSY-IV]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor